

## अध्याय - II

### आवंटित प्राथमिकतायें एवं विनियोग

#### 2.1 प्रस्तावना

विनियोग लेखे प्रतिवर्ष तैयार किये जाते हैं जो विभिन्न विनिर्दिष्ट सेवाओं पर पूंजीगत एवं राजस्व व्यय की तुलना में विनियोग अधिनियम द्वारा प्राधिकृत बजट के भारित तथा दत्तमत दोनों प्रकार के मदों को दर्शाते हैं।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोग की लेखापरीक्षा में यह सुनिश्चित करना है कि क्या विभिन्न अनुदानों के अधीन वास्तविक व्यय विनियोग अधिनियम के अंतर्गत दिए गए प्राधिकार के अन्दर है तथा संविधान के अन्तर्गत जो व्यय प्रभारित किया जाना अपेक्षित है, उसे इस प्रकार भारित किया गया है। यह भी सुनिश्चित करना है कि क्या इस प्रकार किया गया व्यय कानून, संबंधित नियमों एवं अनुदेशों के अनुरूप है।

#### 2.2 विनियोग लेखे का सारांश

वर्ष 2006-07 के दौरान अनुदानों/विनियोगों के विरुद्ध वास्तविक व्यय की संक्षेपित स्थिति निम्नवत थी :

(करोड़ रुपये में)

	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/विनियोग	अनुपूरक अनुदान/विनियोग	कुल	वास्तविक व्यय	बचत (-) आधिक्य(+)
दत्तमत	I. राजस्व	10058.83	785.05	10843.88	7432.63	(-) 3411.25
	II. पूंजीगत	2734.38	43.62	2778.00	1528.84	(-) 1249.16
	III. ऋण एवं अग्रिम	1429.46	-	1429.46	410.81	(-) 1018.65
कुल दत्तमत		14222.67	828.67	15051.34	9372.28	(-) 5679.06
भारित	IV. राजस्व	798.36	3.80	802.16	1631.31	(+) 829.15
	V. पूंजीगत	-	-	-	-	-
	VI. लोक ऋण	373.82	50.00	423.82	836.10	(+) 412.28
कुल भारित		1172.18	53.80	1225.98	2467.41	(+) 1241.43
सकल योग		15394.85	882.47	16277.32	11839.69	(-) 4437.63

\* ये लेखे में व्यय के घटाव की तरह समायोजित वसूलियों को बिना हुए राजस्व व्यय (67.49 करोड़ रुपये) के अंतर्गत सकल आँकड़े हैं।

उत्तर वर्णित 4473.63 करोड़ रुपये की कुल बचत 48 अनुदानों और विनियोगों में 5683.50 करोड़ रुपये की बचत एवं अनुदान और विनियोगों के तीन मामलों में 1245.87 करोड़ रुपये के आधिक्य के प्रतितुलन का शुद्ध परिणाम था।

बिहार कोषागार संहिता के खंड I एवं II के नियम 318 एवं प्रपत्र-38 के अनुसार, झारखण्ड द्वारा अंगीकृत, सभी संवितरण पदाधिकारी को प्रत्येक संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों में यह सत्यापित करना है कि चालू महीने के प्रथम विपत्र के पहले उनके द्वारा आहरित सभी आकस्मिक प्रभारों का विस्तृत विपत्र संबंधित नियंत्रण पदाधिकारी को

प्रतिहस्ताक्षर एवं महालेखाकार को प्रेषण हेतु अग्रसारित किये जा चुके हैं। वर्ष 1999-2007 की अवधि से संबंधित 5411.64 करोड़ रुपये के संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों के विरुद्ध सिर्फ 290.69 करोड़ रुपये का विस्तृत आकस्मिक विपत्र प्राप्त हुआ और 31.10.2007 तक 5120.95 करोड़ रुपये का वि.आ.वि. लंबित रहा।

### 2.3 आबंटित प्राथमिकताओं की पूर्ति

#### 2.3.1 आबंटित प्राथमिकताओं द्वारा विनियोग

आबंटित प्राथमिकताओं के संदर्भ में बचतों के विश्लेषण से उद्घटित हुआ कि 5683.50 करोड़ की बचत में से 3865.24 करोड़ रुपये की मुख्य बचतें (64 प्रतिशत) सात अनुदानों में हुई, जैसा कि नीचे वर्णित है:

(करोड़ रुपये में)

अनुदान की संख्या एवं नाम		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत
10 उर्जा विभाग	(राजस्व दत्तमत)	437.86	246.76	191.10
	(पूंजीगत दत्तमत)	1317.33	387.45	929.88
20 स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	(राजस्व दत्तमत)	840.15	390.53	449.62
	(पूंजीगत दत्तमत)	147.49	53.03	94.46
41 पथ निर्माण विभाग	(राजस्व दत्तमत)	127.81	107.70	20.11
	(पूंजीगत दत्तमत)	520.10	129.50	390.60
42 ग्रामीण विकास विभाग	(राजस्व दत्तमत)	1295.86	531.61	764.25
	(पूंजीगत दत्तमत)	603.43	472.99	130.44
44 माध्यमिक, प्राथमिक एवं जन शिक्षा विभाग	(राजस्व दत्तमत)	1852.62	1465.52	387.10
	(पूंजीगत दत्तमत)	32.50	0.00	32.50
48 नगर विकास एवं आवास विभाग	(राजस्व दत्तमत)	334.51	154.82	179.69
	(पूंजीगत दत्तमत)	132.20	66.69	65.51
51 कल्याण विभाग	(राजस्व दत्तमत)	745.26	538.55	206.71
	(पूंजीगत दत्तमत)	63.87	40.60	23.27
<b>कुल</b>		<b>8450.99</b>	<b>4585.75</b>	<b>3865.24</b>

सात अनुदानों के अन्तर्गत लेखा के मुख्य शीर्षों एवं क्षेत्र जिसमें भारी बचतें हुई, (दस करोड़ रुपये और अधिक ) **परिशिष्ट 2.1** में दिये गये हैं।

जैसा कि झारखण्ड सरकार द्वारा अंगीकृत किया गया, बिहार वित्तीय नियमावली खंड-1 के अनुसार व्यय के अनुमान तैयार करने का दायित्व वित्त विभाग में निहित है। पुनः विभागाध्यक्ष एवं अन्य अधीनस्थ प्राधिकार सही विस्तृत अनुमानों के प्रस्तुतीकरण हेतु उत्तरदायी हैं। विनियोजन लेखे की समीक्षा दर्शाती है कि अवास्तविक बजटीकरण एवं नियमों के अनुपालन की असफलता के फलस्वरूप 52 में से 27 विभागों में राजस्व एवं पूंजी खंडों के अंतर्गत कुल प्रावधान के 25 से 100 प्रतिशत (4411.20 करोड़ रुपये) की बचत हुई जैसा कि **परिशिष्ट 2.2** में वर्णित है।

पचपन मामलों में प्रत्येक में एक करोड़. से अधिक की बचत और कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक 5644.36 करोड़ रुपये की बचत हुई जैसा कि **परिशिष्ट 2.3** में दर्शाया गया है।

तीन अनुदानों एवं विनियोगों के अंतर्गत 1245.87 करोड़ रुपये के आधिक्य का विधान मण्डल द्वारा नियमन आवश्यक है, अनुदान संख्या 13 के अंतर्गत 833.58 करोड़ रुपये और अनुदान संख्या 14 के अंतर्गत 412.28 करोड़ रुपये का आधिक्य था।

### 2.3.2 बजटीय प्रणाली की असफलता

अनुदान संचिका, अनुदान पंजी तथा समर्थित दस्तावेजों की नमूना जाँच से ज्ञात हुआ कि जिला इकाइयों द्वारा पारित विस्तृत अनुमान पर आधारित बजटीय माँगों के स्थान पर तदर्थ प्राक्कलन तैयार किया गया था। जिसके परिणामस्वरूप बहुत सी इकाइयों को बिना मांग किए राशि का अधिक या कम आबंटन किया गया। विभिन्न विभागों द्वारा 32 मामलों में 108.47 करोड़ रुपये निधि के अधिक प्रावधान के आधार पर अभ्यर्पित किया गया जैसा कि ब्यौरे **परिशिष्ट 2.4** में हैं जो दृष्टांत है और सम्पूर्ण नहीं है। इकतीस मामलों में विगत तीन वर्षों में प्रत्येक में दो करोड़ रुपये और प्रावधान से 10 प्रतिशत या अधिक की लगातार बचत हुई थी जिसके ब्यौरे **परिशिष्ट 2.5** में दिए गए हैं। बारह अनुदानों में राजस्व शीर्षों के अंतर्गत वर्ष 2001-02 से प्रत्येक वर्ष 10 करोड़ रुपये या अधिक की बचत हुई जैसा कि नीचे वर्णित है:

#### प्रत्येक मामले में 10 करोड़ रुपये से अधिक की निरंतर बचत वाले मामले

अनुदान विनियोग की संख्या एवं नाम	बचत (राशि करोड़ रुपये में तथा कोष्ठ में प्रावधान से इसकी प्रतिशतता)					
	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
1- कृषि विभाग	23.99 (25)	44.89 (33)	40.57 (28)	49.26 (33)	31.55 (19)	47.02 (24)
2- पशुपालन विभाग	17.80 (31)	23.32 (36)	15.17 (26)	19.94 (27)	17.54 (22)	67.42 (49)
19- वन एवं पर्यावरण विभाग	98.06 (39)	132.27 (47)	96.78 (39)	23.33 (12)	33.64 (17)	34.73 (16)
20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण, विभाग	123.24 (34)	133.53 (36)	128.10 (37)	82.63 (18)	359.07 (43)	449.62 (54)
22- गृह विभाग	206.72 (31)	206.09 (32)	140.77 (22)	160.71 (20)	275.13 (24)	248.30 (22)
23- उद्योग विभाग	52.23 (47)	116.60 (86)	54.81 (47)	96.47 (58)	39.97 (26)	48.89 (29)
26- श्रम रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग	24.56(37)	24.79 (35)	23.82 (27)	33.04 (26)	17.10 (11)	33.02(15)
40- राजस्व एवं भू-सुधार विभाग	32.32 (26)	43.29 (32)	31.52 (27)	27.62 (23)	19.69 (16)	47.73 (30)
42- ग्रामीण विकास विभाग	149.43 (35)	655.11 (64)	643.56 (65)	746.33 (60)	564.20 (53)	764.26 (59)
43- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	30.67 (47)	32.39 (41)	26.19 (48)	79.77 (60)	32.57 (25)	69.05 (59)
44- प्राथमिक, माध्यमिक एवं जन शिक्षा विभाग	223.64 (20)	712.92 (44)	272.90 (24)	230.84 (16)	148.00 (10)	387.10 (21)
51- कल्याण विभाग	126.83 (25)	132.01 (32)	159.99 (36)	145.16 (27)	100.87 (17)	206.71 (28)

तदन्तर, निम्नलिखित पूंजीगत शीर्षों के अंतर्गत वर्ष 2001-02 से अनुदानों में 10 करोड़ रुपये या अधिक की निरंतर बचत थी:

पूंजीगत दत्तमत	( करोड़ रुपये में)					
	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
36- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	80.44 (57)	63.97 (36)	154.71(70)	89.84(43)	67.63(26)	159.56(52)
41- पथ निर्माण विभाग	79.68(43)	39.30(19)	45.38(22)	17.62(7)	56.92(19)	390.95(75)
42- ग्रामीण विकास विभाग	247.81(48)	305.24(56)	197.12(37)	234.01(30)	101.87(15)	130.44(22)
48- नगर विकास एवं आवास विभाग	59.85 (41)	116.38(64)	56.86(51)	67.03(51)	25.00(19)	65.51(50)
49- जल संसाधन विभाग	158.97(50)	88.21 (30)	19.64(7)	137.19(30)	81.62(21)	141.06(39)
50- लघु सिंचाई विभाग	27.91(46)	32.16(61)	15.48(32)	44.11(62)	25.84(38)	88.45(64)

### 2.3.3 आधिक्य का नियमन अपेक्षित

#### विगत वर्षों से संबंधित प्रावधानों से अधिक व्यय का नियमन अपेक्षित

भारत के संविधान की धारा 205 के अनुसार राज्य सरकार के लिए यह अनिवार्य है कि वह अनुदान/विनियोग से अधिक का विनियमन राज्य विधान मण्डल द्वारा करवाये। तथापि, वर्ष 2005-06 तक 5876.32 करोड़ रुपये का अधिक व्यय का विनियमन अभी भी किया जाना था (सितम्बर 2007)।

वर्ष	अनुदानों/विनियोग की संख्या	अनुदान/विनियोग का क्रमांक	नियमन हेतु अधिक राशि (रूपये में)	आधिक्य के कारण
2000-01	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2001-02	3	3, 25, 32	360369	अप्राप्त
2002-03	4	10,13,14,32	12414915374	अप्राप्त
2003-04	5	10,13,14,39,46	9372467723	अप्राप्त
2004-05	5	13,14,23,39,40	5760731585	अप्राप्त
2005-06	3	10,13,29	31214739842	अप्राप्त
कुल			<b>58763214893</b>	

#### वर्ष 2006-07 के दौरान प्रावधानों से अधिक का नियमन अपेक्षित

इसी प्रकार वर्ष 2006-07 के लिए तीन अनुदानों और विनियोगों के अंतर्गत 1245.87 करोड़ रुपये के आधिक्य व्यय का नियमन अपेक्षित था (सितम्बर 2007) जैसा कि नीचे वर्णित है। सरकार द्वारा आधिक्य के कारण सितम्बर 2007 तक प्रस्तुत नहीं किए गए।

(राशि रूपये में)

क्रम सं.	अनुदान/विनियोग का नाम एवं संख्या	कुल अनुदान/विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य
<b>राजस्व (दत्तमत)</b>				
1.	13- ब्याज का भुगतान	779793434000	16133766388	8335832388
2	38-निबंधन विभाग	98564500	98646165	81665
<b>पूंजीगत (दत्तमत)</b>				
1	14- कर्ज का पुर्नभुगतान	4238177000	8360951764	4122774764
कुल		<b>784130175500</b>	<b>24593364317</b>	<b>12458688817</b>

### 2.3.4 मूल बजट एवं अनुपूरक प्रावधान

वर्ष के दौरान किए गए अनुपूरक प्रावधान (882.47 करोड़ रुपये) गत वर्ष के 13.62 प्रतिशत के विरुद्ध मूल प्रावधान, 15394.85 करोड़ रुपये का 5.73 प्रतिशत था।

### 2.3.5 अनावश्यक/अत्यधिक/अप्याप्त अनुपूरक प्रावधान

वर्ष के दौरान 41 मामलों में 429.93 करोड़ रुपये का अनुपूरक प्रावधान, 3273.85 करोड़ रुपये की कुल बचत के कारण अनावश्यक साबित हुआ, जैसा कि **परिशिष्ट 2.6** में दर्शाया गया है।

सात मामलों में 158.58 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आवश्यकता के विरुद्ध 388.80 करोड़ रुपये का अनुपूरक अनुदान प्राप्त किया गया परिणामस्वरूप प्रत्येक मामले में

10 करोड़ रुपये से अधिक कुल 230.22 करोड़ रुपये की बचत हुई। जैसा कि **परिशिष्ट 2.7** में दर्शाया गया है।

दो मामलों में 56.24 करोड़ रुपये का अनुपूरक प्रावधान, प्रत्येक मामले में एक करोड़ रुपये से अधिक, 1245.87 करोड़ रुपये के अनाच्छादित अधिकाई व्यय को छोड़कर, अपर्याप्त साबित हुआ। जैसा कि **परिशिष्ट 2.8** में दर्शाया गया है।

### 2.3.6 पूर्वानुमानित बचतें अभ्यर्पित नहीं

नियमानुसार, व्यय करनेवाले विभाग द्वारा जब भी बचत पूर्वानुमानित हो, अनुदानों/विनियोगों या उसके किसी भाग का अभ्यर्पण वित्त विभाग को किया जाना अपेक्षित है। तथापि, यह देखा गया कि 39 मामलों में 4969.04 करोड़ रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध (प्रत्येक मामले में एक करोड़ रुपये या उससे अधिक की बचत) कुल बचत 2851.69 करोड़ रुपये या तो आंशिक रूप से अभ्यर्पित किए गए या बिल्कुल ही नहीं किए गए। परिणामस्वरूप 2117.35 करोड़ रुपये अभ्यर्पित नहीं किए गए जिसका ब्यौरा **परिशिष्ट 2.9** में है।

इसके अतिरिक्त, 2006-07 के दौरान 55 मामलों में 3571.58 करोड़ रुपये के कुल अभ्यर्पण में से 31 मामलों में 3406.94 करोड़ रुपये की राशि, प्रत्येक मामले में एक करोड़ रुपये से अधिक, मार्च 2007 में अभ्यर्पित की गई इनमें से 45 मामलों में 3330.50 करोड़ रुपये 31.3.2007 को अभ्यर्पित किये गये जो व्यय पर अपर्याप्त वित्तीय नियंत्रण को दर्शाता है। ब्यौरे **परिशिष्ट 2.10** एवं **परिशिष्ट 2.11** में दिए गए हैं।

## 2.4 बचत से अधिक अभ्यर्पण

छः मामलों में अभ्यर्पित राशि वास्तविक बचत से अधिक थी जो अपर्याप्त बजटीय नियंत्रण को दर्शाता है। 189.91 करोड़ रुपये की वास्तविक बचत के विरुद्ध अभ्यर्पित राशि 199.21 करोड़ रुपये थी, फलस्वरूप 9.30 करोड़ रुपये का अधिक अभ्यर्पण हुआ। ब्यौरे **परिशिष्ट 2.12** में दिए गए हैं।

तीन मामलों में अनुमोदित प्रावधान से 1245.87 करोड़ रुपये अधिक व्यय होने के बावजूद 3.72 करोड़ रुपये अभ्यर्पित किये गये। ब्यौरे **परिशिष्ट 2.13** में दिये गये हैं।

## 2.5 निधि का अधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोजन/आहरण

पुनर्विनियोजन, अनुदान के भीतर निधि के विनियोग की एक इकाई जहाँ बचत पूर्वानुमानित हो, से दूसरी इकाई जहाँ अतिरिक्त निधि की आवश्यकता हो, में अंतरण है। मामले, जहाँ अभ्यर्पण द्वारा अविवेकपूर्ण संवर्धन या निधि के प्रावधान का आहरण अधिकाई साबित हुआ या परिणामस्वरूप प्रत्येक मामले में 20 लाख रुपये से अधिक की बचत हुई, **परिशिष्ट 2.14** में वर्णित है।

## 2.6 असमाशोधित व्यय

व्यय के विभागीय आँकड़ों को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) की बही में अंकित आँकड़ों के साथ प्रत्येक महीने समाशोधित किया जाना चाहिए। समाशोधन तथापि कई

विभागों में बाकी था। नियंत्री पदाधिकारी की संख्या जिन्होंने अपने आँकड़ों को समाशोधित नहीं किया और वर्षवार असमाशोधित राशि नीचे दी गई है:

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	नियंत्री पदाधिकारियों की संख्या जिन्होंने अपने आँकड़ों का समाशोधन नहीं किया	इकाइयों की संख्या	असमाशोधित राशि
2000-01	24	1259	903.37
2001-02	27	1736	3324.83
2002-03	29	2452	3939.93
2003-04	95	1120	4067.89
2004-05	95	1615	5544.76
2005-06	96	1636	5307.52
2006-07	85	1984	6258.97
<b>कुल</b>	<b>451</b>	<b>11802</b>	<b>29347.27</b>

वर्ष 2006-07 की असमाशोधित राशि के ब्यौरे **परिशिष्ट 2.15** में दिये गये हैं।

## 2.7 नयी सेवा और सेवा के नये साधन पर व्यय

बजट नियमावली के अनुसार नयी सेवा पर व्यय बिना निधि के प्रावधान के नहीं करना चाहिए। विधानमण्डल द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार उन मामलों को नयी सेवा के रूप में समझा जाता है, जो पूर्व के दत्तमत अनुदानों से दो गुणा अधिक या दो लाख रुपये, जो भी अधिक हो। आठ मामलों में उपर्युक्त प्रावधानों का उल्लंघन कर कुल 733.02 करोड़ रुपये व्यय किये गये जिसका ब्यौरा **परिशिष्ट 2.16** में वर्णित है।

## 2.8 अवास्तविक बजटीकरण

विनियोजन लेखे की अनुसूची में निर्धारित उद्देश्यों हेतु उल्लेखित अनुदान/विनियोजन में एकमुश्त कुल राशि विनियोजित की जाती है। इसका विभिन्न उपशीर्षों एवं मदों के बीच वितरण का उल्लेख विस्तृत बजट अनुमानों में दिया जाता है। निम्नलिखित मामलों में, उपशीर्षवार राशियों का वितरण विनियोजन लेखा से संबंधित मूल/अनुपूरक अनुदानों/विनियोजनों में संलग्न अनुसूची में उल्लिखित राशि से कम थी।

क्रम सं.	अनुदान/विनियोग का नाम एवं संख्या	उपशीर्षों पर आधिक्य वितरित राशि	
		मूल	अनुपूरक
		(लाख रुपये में)	
1	39 आपदा प्रबंधन, विभाग	12971.00	--
2	41 पथ निर्माण विभाग	40.00	--

## 2.9 व्यय का वेग

पिछली तिमाही के दौरान और मार्च 2007 के महीने के लिए भी व्यय, जैसा कि नीचे चित्रित है, दर्शाता है कि 50 प्रतिशत से अधिक व्यय वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही या वित्तीय वर्ष की अंतिम माह के दौरान हुआ।

(करोड़ रुपये में)

क्रं.सं.	मुख्य शीर्ष	वर्ष के दौरान कुल व्यय	वर्ष के अंतिम तिमाही के दौरान व्यय		मार्च 2007 के दौरान व्यय	
			राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता	राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता
1	2015-चुनाव	9.19	6.22	68	5.68	62
2	2030-मुद्रांक एवं निबंधन	9.86	6.21	63	5.76	58
3	2047-अन्य राजकोषीय सेवाएँ	3.13	2.11	67	1.76	56
4	2217-नगर विकास	43.43	42.24	97	40.84	94
5	2401-फसल पालन	76.42	58.32	76	54.46	71
6	2402-मृदा एवं जल संरक्षण	27.71	23.04	83	19.78	71
7	2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	359.62	269.92	75	197.95	55
8	2801-विद्युत शक्ति	211.45	200.15	95	200.15	95
9	2852-उद्योग	75.12	44.26	59	41.89	56
10	3604-पंचायती राज संस्थान	2.05	1.05	51	1.05	51
11	4055-पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय	35.99	29.18	81	24.81	69
12	4202-शिक्षा और संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	196.71	196.71	100	195.24	99
13	4210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	53.03	43.82	83	33.55	63
14	4217-नगर विकास पर पूँजीगत परिव्यय	11.07	10.07	91	9.89	89
15	4401-फसल पालन पर पूँजीगत परिव्यय	3.00	3.00	100	3.00	100
16	4425-सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय	8.96	8.96	100	8.96	100
17	4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	165.49	111.55	67	85.68	52
18	5452-पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय	15.84	11.26	71	9.05	57
	<b>पूँजीगत परिव्यय</b>	<b>1308.07</b>	<b>1068.07</b>		<b>939.5</b>	

वर्ष के दौरान व्यय का एकरूप प्रवाह बजटीय नियंत्रण की प्राथमिक आवश्यकता है जिसका निर्वहन नहीं किया गया। यह अक्षम वित्तीय प्रबंधन को दर्शाता है।